SRVA और रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष रुपए वोस्ट्रो खाते (SRVA) रखने वाले अनिवासियों को अधिशेष शेष राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी है।

RBI के उपाय

- अब अनिवासी संस्थाएँ अपनी रुपए की अधिशेष शेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (G-secs) और ट्रेज़री बिलों में निवेश कर सकती हैं।
- पिछली प्रक्रिया के विपरीत, अब अधिकृत डीलर बैंक बिना RBI की अनुमति लिये स्वयं SRVA खोल सकते हैं।
- **महत्त्व**
  - INR-आधारित व्यापार निपटान को तेज़ी से और व्यापक रूप से अपनाना → रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण।
  - अधिशेष रुपया निधि का सर्वोत्तम और उत्पादक दोहन।
  - द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता का कम होना।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

- अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख विदेशी मुद्रा में अनिवार्य रूपांतरण के बिना **सीमा पार व्यापार, निवेश और वित्तीय लेन-देन** में इसके उपयोग को बढ़ावा देना।

लाभ

- वैश्विक मुद्रा संकट के प्रति संवेदनशीलता।
- भारतीय व्यवसायों के लिये हेजिंग और लेन-देन लागत।
- विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव का कम होना।
- रुपए-आधारित बॉण्ड और विदेशी वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
- भारतीय मुद्रा परिसंपत्तियों की बढ़ी हुई विदेशी मांग से भारतीय बॉण्ड और इक्विटी बाज़ार में वृद्धि होना।

नकारात्मक प्रभाव

- वैश्विक अस्थिरता के प्रति जोखिम बढ़ जाता है।
- उचित विनियमन के बिना मौद्रिक प्रबंधन जटिल हो सकता है।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की चुनौतियाँ	RBI की सिफारिशें
विदेशों में INR तरलता संबंधी बाधाएँ: INR की अनुपस्थिति निपटान दक्षता को सीमित करती है।	स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) ढाँचे का विकास: पर्याप्त INR तरलता के साथ मानकीकरण और समर्थन।
सख्त और असंगत KYC मानदंड: जो RBI और SEBI के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिये निवारक के रूप में कार्य करते हैं।	KYC सरलीकरण: RBI और SEBI मानदंडों में सामंजस्य स्थापित करना; डिजिटल दस्तावेज़ और स्विफ्ट पुष्टिकरण स्वीकार करना।
वैश्विक स्तर पर INR-आधारित भुगतान अवसंरचना का अभाव: UPI, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) और रुपे का विदेशी भुगतान प्रणालियों से सीमित एकीकरण	बाज़ार अवसंरचना को मज़बूत करना, वैश्विक 24×5 INR विदेशी मुद्रा बाज़ार का विकास करना→ विदेशी शाखाओं के माध्यम से अंतर-बैंक व्यापार को सक्षम बनाना।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की चुनौतियाँ	RBI की सिफारिशें
अपनाने में संकोच: भारतीय रुपया पूंजी खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है - वैश्विक बाज़ारों में इसका उपयोग प्रतिबंधित है।	SDR बास्केट में समावेशन: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में शामिल करने का लक्ष्य रखकर भारतीय रुपए को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित करना

प्रमुख पहल

RBI की रणनीतिक कार्य योजना 2024-25, भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों (PROI) को विदेश में INR खाते खोलने की अनुमति देना, भारतीय बैंकों को PROI को रुपए में ऋण देने की अनुमति देना UAE, इंडोनेशिया, मालदीव आदि के साथ स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार निपटान हेतु हस्ताक्षर किये गए।	20 से अधिक देशों के साथ हस्ताक्षर किये गए, जो तरलता समर्थन और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान को सुगम बनाते हैं। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सात देशों (UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्राँस और मॉरीशस) में परिचालित है। वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये मसाला बॉण्ड जारी करना।

विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार का भविष्य

अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ उपायों के बढ़ते प्रयोग ने विश्व व्यापार संगठन की प्रभावकारिता तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने तथा व्यापार विवादों के निपटान में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की भूमिका पर वैश्विक चिंताओं को पुनः उजागर किया है।

वैश्विक व्यापार गतिशीलता- विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

- बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार समझौतों को सुगम बनाता है (उदाहरण के लिये, व्यापार सुविधा समझौता, 2013)
- टैरिफ में कमी तथा MFN सिद्धांत को बढ़ावा देता है → नियम-आधारित वैश्विक व्यापार परिवेश
- व्यापार नीति समीक्षा और सब्सिडी, टैरिफ तथा विनियमों की अनिवार्य अधिसूचनाएँ
- सतत् विकास लक्ष्यों (जैसे, मत्स्य पालन सब्सिडी और SDG 14) के अनुरूप सतत् व्यापार

विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को कमज़ोर करने वाली चुनौतियाँ

- **विवाद निपटान में अक्षमता:** नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अमेरिका के विरोध के कारण WTO का अपीलीय निकाय **वर्ष 2019 से गैर-कार्यात्मक है।**
- **रुकी हुई वार्ता:** दोहा विकास दौर (2001) कृषि और सब्सिडी के मुद्दे पर विफल रहा; जिससे उत्तर-दक्षिण के बीच गहरा विभाजन उजागर हुआ।
- **FTA और क्षेत्रीय ब्लॉकों का उदय:** WTO के बहुपक्षीय दृष्टिकोण को कमज़ोर बनाता है, (जैसे- यूरोपीय संघ, आसियान, RCEP)
- **नए व्यापार क्षेत्रों में सीमित प्रासंगिकता:** विश्व व्यापार संगठन डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स, जलवायु-संबंधी व्यापार बाधाओं तथा हरित प्रौद्योगिकियों को संबोधित करने में कठिनाई का सामना कर रहा है; बहुपक्षीय व्यापार प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता कम हुई है।
- **विशेष एवं विभेदक उपचार (S&DT) से जुड़ी समस्याएँ:** "विकासशील देशों" को व्यापार में लचीलापन प्रदान किया गया। हालाँकि, इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है → अपेक्षाकृत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा स्व-नामांकन → विवाद।

सुधार हेतु सुझाव

- अमेरिका की चिंताओं को दूर करते हुए अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करना; समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करना।
- व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (TPRM) को मज़बूत करना तथा सदस्यों को डेटा साझा करने और संयुक्त प्रभाव आकलन करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- वित्त, विकास एवं स्थिरता लक्ष्यों के साथ व्यापार को एकीकृत करने के लिये IMF, विश्व बैंक, UNCTAD और जलवायु निकायों के साथ सहयोग में वृद्धि करना।
- निरंतर सुधार गति के लिये बारी-बारी से नेतृत्व के साथ एक स्थायी विश्व व्यापार संगठन सुधार परिषद की स्थापना करना।
- विश्व व्यापार संगठन को डिजिटल व्यापार, डेटा प्रवाह, औद्योगिक नीति, हरित सब्सिडी को संबोधित करने के लिये व्यापार नियमों को अद्यतन करना चाहिये।

बहुपक्षीय व्यापार प्रशासन में भारत की भूमिका

वैश्विक दक्षिण का नेतृत्वकर्त्ता	→	विकासशील देशों के लिये खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी संरक्षण की वकालत करना
संतुलित उदारीकरण की वकालत करना	→	उदारीकरण जो विकासात्मक आवश्यकताओं का सम्मान करता है, एकतरफा टैरिफ वृद्धि तथा संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का विरोध करता है

सतत् व्यापार का नेतृत्व करना	→	व्यापार को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना; हरित संरक्षणवाद के विरुद्ध प्रयास करना (उदाहरणार्थ, EU CBAM)
विकास और एकीकरण के बीच संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करना	→	PLI, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI) और सेवा क्षेत्र की क्षमता का प्रदर्शन

संसद द्वारा पारित प्रमुख खेल संबंधी विधेयक- 2025

संसद ने दो प्रमुख विधेयक पारित किये हैं: **राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025** तथा **राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025**।

⌘ खेल सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य-सूची का विषय है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025

केंद्र की भूमिका	• स्थापना - राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB), राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, प्रत्येक खेल के लिये राष्ट्रीय खेल महासंघ (SFs)
NSB की भूमिका	• खेल निकायों (BCCI सहित) की मान्यता को स्वीकार/निलंबित/रद्द करना • जाँच करना, आचार संहिता तथा सुरक्षित खेल नीति तैयार करना • राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के माध्यम से चुनावों का विनियमन करना
SFs (अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध) के लिये अधिदेश	• एक महासभा, 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति (जिसमें 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी तथा 4 महिलाएँ शामिल होंगी) • नैतिकता, विवाद समाधान तथा एथलीटों के लिये समितियाँ
राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण	• 3-सदस्य; अध्यक्ष - वर्तमान/पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • डोपिंग, आंतरिक विवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन संबंधी मामले इसमें **शामिल नहीं हैं**
अन्य दायित्व	• सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निकायों को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में मान्यता देना (RTI अधिनियम, 2005) • CAG द्वारा लेखापरीक्षित खाते रखना अनिवार्य • "भारत" या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करने के लिये अनुमोदन आवश्यक

राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025

⌘ खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन करता है।

⌘ **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) की भूमिका:** डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, परीक्षण करना तथा अनुपालन सुनिश्चित करना।

❖ विधेयक में NADA की निगरानी के लिये खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

भारत के विदेशी नागरिक (OCI) योजना

गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के तहत **OCI** कार्ड रद्द करने संबंधी आधार में विस्तार किया है।

योजना के बारे में

⌘ भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिये नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के साथ वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत की गई।

⌘ यह भारतीय मूल के विदेशी पासपोर्ट धारकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

❖ भारत के लिये बहु-प्रवेश (Multiple-entry), बहु-उद्देश्यीय, आजीवन वीज़ा - OCI कार्ड।

❖ प्रवास की अवधि की परवाह किये बिना पुलिस पंजीकरण से छूट।

❖ दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है।

❖ वर्तमान में सर्वाधिक OCI कार्डधारक अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हैं।

पात्रता

⌘ 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक या उस तिथि को नागरिकता के लिये पात्र व्यक्ति, उनके वंशज, और पति/पत्नी (विवाहित ≥ 2 वर्ष से अधिक)।

⌘ **अपवर्जन**: पाकिस्तान या बांग्लादेश के वर्तमान या पूर्व नागरिक

OCI कार्डधारकों के लिये प्रतिबंध

- **कोई राजनीतिक अधिकार नहीं:** वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, या संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते।
- **लोक रोज़गार (अनुच्छेद 16)** का अधिकार नहीं, जब तक विशेष रूप से अधिसूचित न किया जाए।
- **विशेष परमिट की आवश्यकता:** शोध कार्य, मिशनरी/पत्रकारिता कार्य, पर्वतारोहण या संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिये

निरसन के आधार

- OCI कार्ड प्राप्त करने में धोखाधड़ी या मिथ्या विवरण।
- संविधान के विरुद्ध कोई कार्य या वक्तव्य।
- युद्धकाल में शत्रु की सहायता।
- संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी संबंधों या जनहित के विरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य।
- **गंभीर आपराधिक अपराध (हाल ही में शामिल किये गए):**
  - ≥ 2 वर्ष के कारावास के साथ दोषसिद्धि।
  - ऐसे अपराधों में आरोप-पत्र दाख़िल होना जिनकी सज़ा 7 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित है।

अंतर का आधार	OCI कार्डधारक	NRI (अनिवासी भारतीय)
विधिक स्थिति	नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति, OCI कार्डधारक के रूप में	विदेश में निवास करने वाला भारतीय नागरिक (एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन से अधिक)
वीज़ा आवश्यकता	OCI कार्ड ही प्रयोजन पूरा करता है	आवश्यकता नहीं (भारतीय पासपोर्ट धारक)
राजनीतिक अधिकार	नहीं	हाँ, परंतु मतदान के लिये निर्वाचन क्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य
गतिविधियों का दायरा	उपरोक्त प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियाँ, पूर्व स्वीकृति के बिना	सभी गतिविधियाँ

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रमुख घोषणाएँ

वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत की ओर ले जाने के क्रम में **भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस** पर प्रधानमंत्री ने प्रमुख पहलों की घोषणा की।

पहल	उद्देश्य	लक्षित वर्ष
PM विकसित भारत रोज़गार योजना	इसका लक्ष्य **दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोज़गार** सृजित करना; युवाओं को 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कराना है।	–
मिशन सुदर्शन चक्र	वर्ष 2035 तक स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करके सामरिक एवं नागरिक स्थलों की सुरक्षा करना; साथ ही दुश्मन के हमलों को रोकने तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता में वृद्धि करना।	2035
सेमीकंडक्टर मिशन	अपनी पहली मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप प्रस्तुत करना।	2025
नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन ('समुद्र मंथन')	मिशन का उद्देश्य मिशन मोड में अपतटीय तेल, गैस एवं **खनिज संसाधनों** का अन्वेषण करना है।	–
GST रिफॉर्म	GST संबंधी सुधार कर आवश्यक वस्तुओं का पुनरीक्षण करने के साथ **MSMEs** और उपभोक्ताओं को राहत दिया जाना शामिल है।	अक्तूबर 2025
रिफॉर्म टास्क फोर्स	↑ आर्थिक विकास, ↑ लालफीताशाही और 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के क्रम में शासन आधुनिक एवं अनुकूल बनाना।	2047
हाई पॉवर डेमोग्राफी मिशन	सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासन के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन का समाधान; ↑ राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकार	–
परमाणु ऊर्जा का विस्तार	परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना तक बढ़ाना; 10 नए रिएक्टरों का विकास करना।	2047

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PMVBRY)

कार्यबल को औपचारिक बनाने तथा **सामाजिक सुरक्षा प्रदान** करने के लिये **79वें स्वतंत्रता दिवस** पर यह योजना शुरू की गई।

- **लक्ष्य:** प्रोत्साहन (DBT) के माध्यम से वर्ष **2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन** करना।

भाग A – पहली बार काम करने वाले कर्मचारी	भाग B – नियोक्ता
• **पात्रता:** EPFO-पंजीकृत, ≤ ₹1 लाख/माह आय • **सहायता:** 2 किस्तों में ₹15,000 तक ईपीएफ वेतन सहायता (प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक विशिष्ट अवधि के लिए बचत/सावधि खाते में लॉक किया जाएगा)	• **प्रोत्साहन:** नियोक्ता को 2 वर्षों के लिये ₹3,000/माह/कर्मचारी (वेतन ≤ ₹1 लाख) मिलेगा; नौकरी ≥6 माह तक चलनी चाहिये • **विनिर्माण क्षेत्र:** प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक विस्तारित

काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष

9 अगस्त, 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष पूरे हुए।

- **क्या हुआ था:** 9 अगस्त 1925 को भारतीय क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास नंबर 8 डाउन ट्रेन (शाहजहाँपुर से लखनऊ) से ब्रिटिश खजाने की राशि लूटी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के लिये धन जुटाना था।
- **पृष्ठभूमि:** जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) और असहयोग आंदोलन की वापसी (1922) के बाद युवा राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश खजाने की लूट से क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्तपोषित करने हेतु वर्ष 1924 में **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)** का गठन किया।
- **मुख्य क्रांतिकारी:** राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेन्द्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुन्दी लाल, बनवारी लाल, चन्द्रशेखर आज़ाद।
- **ब्रिटिश प्रतिक्रिया:** 17 क्रांतिकारियों को कारावास, 4 को आजीवन कारावास, 4 को फाँसी (बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह)। चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तारी से बच निकले।

HRA से HSRA तक

- HRA की स्थापना अक्तूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय और सचिन सान्याल ने की।
- वर्ष 1928 में चन्द्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया गया। इसके प्रमुख सदस्य थे – भगत सिंह, सुखदेव, भगवतीचरण वोहरा, बिजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर।
- प्रमुख कार्रवाइयाँ: साइमन कमीशन विरोध (1927), जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या (1928), वायसराय इरविन की ट्रेन पर बम हमला (1929)